घरेलू हिंसाः चुनौतियाँ एवं समाधान

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा घरेलू हिंसा निवारण कानून 2005 के आलोक में

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

घरेलू हिंसाः चुनौतियाँ एवं समाधान

राष्ट्रीय महिला आयोग तथा घरेलू हिंसा निवारण कानून 2005 के आलोक में

डॉ. हर्षिता सिंह

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

द्वारा प्रकाशित



अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

घरेलू हिंसाः चुनौतियाँ एवं समाधान
राष्ट्रीय महिला आयोग तथा घरेलू हिंसा निवारण कानून 2005 के आलोक में

संस्करण : 2020
© लेखक
ISBN: 978-81-947936-2-5

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव द्वारा "अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा आरना इंटरप्राइजेज, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE

प्राक्कथन

आधुनिक समय में महिलाओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक उत्पीड़न तथा अत्याचार का सामना करना पड़ता है। हमारे देश में महिलाओं के गौरव, शक्ति तथा सम्मान का जितना अधिक वर्णन हुआ है उतना अन्यत्र नहीं, किन्तु व्यवहारिक धरातल पर दृष्टिपात करते ही पता चल जाता है कि नारी उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। परिवार जिसे प्रेम, सुरक्षा तथा एकात्मकता के केन्द्र के रूप में माना जाता रहा है। वहीं परिवार आज अधिकांश स्त्रियों के लिए मारपीट, उत्पीड़न, अत्याचार तथा कभी–कभी प्राणघातक हमलों के केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है। स्त्रियों के मौलिक अधिकारों, समानता तथा मानवाधिकारों के हनन के अन्य उदाहरणों की बहुलता होने के बाद भी घरेलू हिंसा उत्पीड़न के सभी रूपों में सर्वाधिक दूषित और कटु है। घरेलू हिंसा केवल भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि इस समस्या को विश्वव्यापी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है। विश्व भर की महिलाएं किसी न किसी रूप में इसका शिकार होती रहीं हैं।

घरेलू हिंसा के कई आयाम हैं और यही कारण है कि इस अपराध की भयावहता और विकरालता बढ़ती जा रही है। महिलाओं के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों की प्रकृति तथा प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाय तो ऐसा लगता है कि उन सबमें सबसे अधिक व्यापक और जटिल प्रवृत्ति वाली हिंसा, घरेलू हिंसा अथवा पारिवारिक हिंसा है। इसे 'मौन' हिंसा की भी संज्ञा दी जा सकती है। यह स्त्रियों का दुर्भाग्य है कि उन्हें न केवल घर के बाहर अपितु, घर के भीतर परिवार में भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। घरेलू हिंसा के कई आयाम हैं जैसे 'पारिवारिक हिंसा' तथा 'वैवाहिक हिंसा'। पारिवारिक हिंसा में इस प्रकार के अत्याचार

SAMPLE

सम्मिलित हैं जो स्त्री पर उसके पारिवारिक सम्बन्धियों द्वारा किये जाते हैं तथा वैवाहिक हिंसा का स्वरूप पति–पत्नी के कटु सम्बन्धों में देखा जा सकता है जहाँ पति द्वारा पत्नी के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं।

स्त्री और पुरुष को न केवल धर्मशास्त्रों में बल्कि भारतीय संविधान तथा कानून के द्वारा भी समस्त मूलभूत अधिकार समान रूप से प्रदान किये गये हैं। प्रायः सामाजिक कुरीतियों व विषमताओं के कारण स्त्रियाँ इन अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। अतः भारत में महिलाओं के प्रति गम्भीरता का परिचय देते हुए, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 15(3) के प्रावधान का आश्रय लेकर महिलाओं के हितों व अधिकारों की सुरक्षा व संवर्द्धन, समाज में लैंगिक असमानता तथा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव, अत्याचार, बाहरी तथा पारिवारिक उत्पीड़न की समाप्ति हेतु संसद द्वारा 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990' लाकर वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा करना है। आयोग को सिविल अदालत के अधिकार प्राप्त है। यह आयोग जाँचकर्ता, परीक्षणकर्ता तथा प्रेक्षक की भूमिका निभाता है। यह आयोग महिलाओं को मिले कानूनी अधिकारों से जुड़े सभी मुद्दों की निगरानी (मॉनिटरिंग) करता है। यह मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है तथा जहाँ कहीं भी उसे कमी दिखाई देती है। वहाँ संशोधन के सुझाव देता है। महिलाओं के हित में नये कानूनों के निर्माण के लिए भी आयोग सुझाव प्रस्तुत करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू किये गये 'घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम 2005' में भी आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को सशक्त, जागरूक बनाकर उन्हें विभिन्न प्रताड़नाओं व हिंसा के विरूद्ध कानूनी रक्षोपाय उपलब्ध करवाते हुए राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। साथ ही आयोग का कार्य ऐसे कानूनों की समीक्षा भी करना है जो महिलाओं से सम्बन्धित है अथवा उन्हें प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार यह बिन्दु एक चिन्तन का विषय बन जाता है कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग उन अधिकारों का उपयोग कर रही है जो उसे संविधिक रूप से प्रदान किये गये हैं? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा

घरेलू हिंसा के निवारण में महिलाओं को अपेक्षित सहयोग पहुँचाया जा रहा है अथवा नहीं? साथ ही साथ यह भी आँकलन किया जा सकता है कि आयोग की स्थिति वर्तमान समय में किस प्रकार की है? इन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर मैंने इस विषय का चयन अपने लेखन हेतु किया तथा इस पर कार्य आरम्भ किया।

उपरोक्त मुद्दों के आधार पर मैंने अपने लेखन विषय को निम्न अध्यायों में विभक्त किया है–

1. राष्ट्रीय महिला आयोग : एक परिचय।
2. घरेलू हिंसा : सैद्धान्तिक व्याख्या।
3. घरेलू हिंसा : सम्बन्धित कानून।
4. घरेलू हिंसा : वास्तविक स्थिति (व्यक्ति अध्ययन)
5. घरेलू हिंसा के समाधान में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका।
6. निष्कर्ष

प्रथम अध्याय में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हेतु किये गये राष्ट्रीय प्रयासों, स्थापना की पूर्व भूमिका, राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन, संरचना, प्रास्थिति, शक्तियाँ तथा आयोग की कार्य प्रणाली की विवेचना की गयी है। प्रस्तुत अध्याय में आयोग के कार्यक्षेत्र तथा आयोग द्वारा अपने विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से आयोग को प्राप्त शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रक्रिया की व्याख्या की गयी है।

द्वितीय अध्याय में हिंसा का सामान्य अर्थ बतलाते हुए महिलाओं के प्रति हिंसा तथा लेखन के केन्द्रीय विषय–वस्तु के रूप में घरेलू हिंसा की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में घरेलू हिंसा के अर्थ, प्रकृति, प्रसार, व्यापकता की व्याख्या इसके सभी आयामों के साथ की गयी है। साथ ही घरेलू हिंसा के पीछे निहित व्यावहारिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों की भी व्याख्या की गयी है।

तृतीय अध्याय में महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाये गये संवैधानिक उपबन्धों व कानूनों विशेष रूप से घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानून व 'घरेलू हिंसा निवारण 2005' के प्रावधानों की व्याख्या की गयी

है। साथ ही इस अधिनियम के गुण–दोषों पर चर्चा की गयी है।

चतुर्थ अध्याय व्यक्ति अध्ययन (केस स्टडी) से सम्बन्धित है। इस अध्याय में घरेलू हिंसा के विभिन्न मामलों का वैयक्तिक अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय में घरेलू हिंसा के मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग के हस्तक्षेप तथा मामलों के निराकरण में आयोग के प्रयासों का विश्लेषण करते हुए आयोग की भूमिका तथा प्रभावशीलता को जाँचने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक के विषय को सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नमूना • SAMPLE

विषय–सूची

	प्राक्कथन	*v*
1.	प्रस्तावना	1
2.	राष्ट्रीय महिला आयोग : एक परिचय	6
3.	घरेलू हिंसा की व्याख्या	56
4.	घरेलू हिंसा : सम्बन्धित कानून	98
5.	घरेलू हिंसा का वास्तविक स्वरूप : व्यक्ति अध्ययन	141
6.	घरेलू हिंसा के निवारण में राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका : एक विश्लेषण	158
7.	निष्कर्ष	175
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	190
	अनुक्रमणिका	198

नमूना SAMPLE

नमूना • SAMPLE

1

प्रस्तावना

स्त्रियाँ समाज व परिवार के निर्माण, पोषण और विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं, यह एक सर्वविदित तथ्य है। परन्तु, उनके इस योगदान को प्रायः अवहेलना की जाती है। समाज व परिवार के लिए किये गये उनके त्याग को स्त्रियों के सहज व स्वभाविक कर्त्तव्य में सम्मिलित किया जाता है। समाज और परिवार में उन्हें वह स्थान नहीं मिल पाता जिसकी कि वे वास्तविक रूप से हकदार होती हैं। उन्हें पितृसत्तात्मक समाज में दोयम दर्जे के नागरिक का दर्जा मिला हुआ है। समाज व परिवार में स्त्रियों को स्वतंत्रता व अधिकार अत्यन्त ही सीमित मात्रा में प्रदान किये जाते हैं लेकिन, उनके कन्धों पर कर्त्तव्य निर्वहन की भारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। कमोवेश यहीं स्थिति विश्व के सभी देशों में देखने को मिलती है। यूरोप के राष्ट्रों में जहाँ की स्त्रियों की सामाजिक रूप से स्वतंत्र स्थिति की मिसाल दी जाती है वहाँ भी वे इसलिए स्वतंत्र हैं क्योंकि यह स्वतंत्रता उन्हें वहाँ के पुरुषों द्वारा प्रदान की गयी है। इससे यह साबित होता है कि लगभग प्रत्येक समाज तथा राष्ट्र में स्त्रियों की स्थिति व स्वतंत्रता वहाँ के पुरुषों की सहमति तथा अनुकम्पा पर आधारित है। अर्थात् स्त्री को यह स्वतंत्रता वास्तविक अर्थों में न प्राप्त होकर पुरुषों पर ही निर्भर करती हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकार, समाज तथा परिवार में उनकी स्थिति आज भी पुरुषों की स्वीकृति पर निर्भर है।

हम यह कह सकते हैं कि संघर्ष की नियति लेकर ही स्त्री का जन्म होता है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति में जितना आरोह तथा अवरोह

SAMPLE

देखने को मिलता है, सम्भवतः विश्व के इतिहास में किसी दूसरे समाज में यह स्थिति देखने को नहीं मिलती। आज के आधुनिक व विकसित राष्ट्रों के समाज में भी स्त्री को अपेक्षित स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त नहीं है। स्त्री को भारतीय सभ्यता के साथ–साथ अन्य वैश्विक सभ्यताओं में भी संस्कृति का निर्माता, सभ्यता का स्रोत तथा सामाजिक व पारिवारिक जीवन का आधार माना गया है, तथा यह मान्यता भी सत्य ही प्रतीत होती है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि प्राचीन काल की नारी को अथवा वर्तमान की स्वतंत्र व आधुनिक नारी, स्त्री सदैव से ही परिवार की धुरी रही है। परन्तु एक कटु सत्य यह भी है कि महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, यन्त्रणा तथा तिरस्कार भी उतना ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। आज इक्कीसवीं सदी में भी महिलाओं को अधिकार तथा सम्मान प्रदान करने की प्रक्रिया काफी मन्द, अव्यवस्थित तथा असंगत रही है। परिणामस्वरूप, आज भी महिला सभी क्षेत्रों में चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक काफी पीछे व हाशिये पर हैं। सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक क्षेत्र में वह पुरुषों की अनुगामी ही है, ठीक यही स्थिति उनके निजी जीवन में भी देखने को मिलती है। परिवार में भी चाहे पालन–पोषण की बात हो या शिक्षा की अथवा किसी विषय पर निर्णय में भाग लेने का अधिकार, इन सभी जगहों पर भी स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की ही है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव करते हुए उन्हें अधिकारों से वंचित रखा जाता है। परिवार तथा घर में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। जहाँ उनके साथ बदतर व्यवहार के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार भी किये जाते हैं। दुर्व्यवहार का यह क्रम उनके जीवन चक्र के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है, जो विवाहोपरान्त जारी रहते हुए अन्तोगत्वा उनकी मृत्यु पर ही समाप्त होता है। माता के गर्भ में आने से लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, भाई–बहनों के बीच भेदभाव से उत्पीड़न तथा असमान व्यवहार की यह श्रृंखला आरम्भ होती है तथा विवाहोपरान्त भी उनका उपहास किया जाना, आतंकित किया जाना, मारा–पीटा जाना तथा जलाकर मार दिये जाने जैसे रूपों में निरंतर जारी रहती है। एक लेखिका की दृष्टि से महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार तथा हिंसा पर दृष्टिपात तथा अवलोकन करें तो पायेंगे कि स्त्री के विरूद्ध अपराध

SAMPLE

तथा हिंसा प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त है। सबसे दुःखद बात है कि परिवार भी इसका अपवाद नहीं रहा है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराध व हिंसा की विविध श्रेणियों में घरेलू हिंसा, हिंसा का वह रूप है जो स्त्री के ऊपर, परिवार व रिश्तों की परिधि में किया जाता है। अर्थात् वह हिंसा जो स्त्री पर परिवार में उसके अपने पारिवारिक जनों द्वारा आरोपित की जाती है। घरेलू हिंसा का क्षेत्र अत्यन्त ही बृहद् एवं व्यापक है।

विवाह तथा रक्त सम्बन्ध परिवार निर्माण की आधारभूत इकाई है, परन्तु परिवार में भी एक प्रकार की पदसोपानिक व्यवस्था पायी जाती है। विवाह, जिसे कि लगभग धर्म, क्षेत्र, सम्प्रदाय में मान्यता प्राप्त है, स्त्री–पुरुष के समान सहभागिता तथा मिलन पर आधारित संस्था है, परन्तु व्यवहार में हमारी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था श्रम के लैंगिक विभाजन के आधार पर महिलाओं की पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति की घोषणा करता है। परिवार की पदसोपानिक व्यवस्था में पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है तथा इस प्रकार की विशिष्ट स्थिति प्राप्त होने के कारण उसे पत्नी/स्त्री को नियंत्रित करने का अधिकार मिला रहता है। स्त्री को नियंत्रित तथा अनुशासित करने की प्रवृत्ति ही प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से घरेलू हिंसा को जन्म देती है। वैश्विक रूप से परिवार में हिंसा अर्थात् घरेलू हिंसा संस्कृति, धर्म, वर्ण तथा जातीयता से परे सार्वभौमिक रूप से विद्यमान हैं। घरेलू हिंसा की व्यापक उपस्थिति व प्रचलन में होने के बावजूद यथार्थ में ऐसी हिंसा साधारणतया अभिस्वीकृत नहीं होती तथा अदृश्य ही रह जाती हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसे कानूनी तथा राजनैतिक ध्यानाकर्षण के लिए अपात्र तथा महत्वहीन समझा जाता रहा है। सार्वजनिक तथा निजी जीवन के बीच भेद करने की सामाजिक संरचना ने महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा की छुपी प्रकृति को रेखांकित किया है। ऐतिहासिक रूप से न्याय शास्त्रों में परिवार के क्षेत्र में पुरुष को मुखिया माना गया है तथा परिवार पर उसका नियंत्रण व प्राधिकार प्रश्नातीत तथा निर्विवाद समझा गया है। इस प्रकार परिवार के भीतर सदस्यों पर हिंसा, चाहे वह स्त्री के विरूद्ध हो या बच्चों के विरूद्ध, परिवार में मुखिया का नियंत्रण शासन तथा अनुशासन बनाये रखने हेतु आवश्यक अनुभव किया जाता था, तथा इस प्रकार की हिंसा को सामाजिक व पारिवारिक अनुमोदन प्राप्त था।

धीरे–धीरे शिक्षा व आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षित स्त्रियों ने इस मान्यता तथा बन्धन को तोड़ना आरम्भ किया तथा अपने निजी व पारिवारिक अनुभवों को सार्वजनिक तौर पर रखने लगीं। यह छोटी सी पहल भी पितृसत्ता के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि परम्परानुसार स्त्रियों को पवित्र, मूक, शान्त और आज्ञाकारी होना था। बीते दशकों में भारतीय महिला आन्दोलनों ने महिलाओं के विरूद्ध अपराध के विषय में जनजागरूकता फैलाने में काफी सहयोग दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की सार्वजनिक जीवन व निजी जीवन के बीच भेद की मान्यता धीरे–धीरे टूटने लगी। इस बात पर बल दिया जाने लगा कि हिंसा तथा अपराध की उपेक्षा यह कहकर नहीं की जानी चाहिए कि यह स्त्री का पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत मामला है। निजी जीवन हो या सार्वजनिक जीवन, महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध है तथा इसे दण्डनीय घोषित किया जाना चाहिए। समाज तथा महिलाओं में इस प्रकार की जागरूकता तथा विभिन्न प्रयासों का नतीजा यह निकला कि सक्रियतावादी महिलाओं तथा महिला संगठनों के दबाव में आकर सरकार ने महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के विभिन्न मामलों से निपटने के लिए आपराधिक संहिता (Criminal Code) तथा पुलिस प्रक्रियाओं (Police Procedures) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये।

सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के विरूद्ध प्रथम प्रतिक्रिया वर्ष 1983 में दहेज अधिनियम में संशोधन करते हुए एक नवीन धारा 498(अ) का जोड़ा जाना रहा है। इस धारा के अन्तर्गत दहेज उत्पीड़न तथा दहेज सम्बन्धी मामलों से इतर "वैवाहिक क्रूरता" को अपराध माना गया है। बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय संधियों जैसे वियना एकार्ड (1993), बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (1995) के आलोक में यह बात सिद्धान्त रूप में उभरकर सामने आयी कि महिला अधिकार, मानवाधिकार है तथा घरेलू हिंसा सरीखे मामले जिसे व्यक्तिगत मामला कहा जाता है वास्तव में मानवाधिकार के हनन के रूप में समझे जा सकते हैं तथा ऐसे मामले सार्वजनिक चिन्ता का विषय हैं। इस प्रकार से घरेलू हिंसा को वैश्विक पहचान मिलने लगी। भारत में भी महिलाओं के हितों की रक्षा तथा उनके अधिकारों के वंचन से सम्बन्धित मामलों से निपटने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था की आवश्यकता

SAMPLE

महसूस की गयी। भारतीय महिला संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा सक्रियतावादी महिलाओं की भी एक लम्बे समय से यह माँग रही थी कि महिलाओं के हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्त तथा सशक्त संस्था की स्थापना की जानी चाहिए जो विशेष तौर से महिलाओं से सम्बन्धित सभी मामलों की देखरेख करेगी। इस प्रकार की माँगों के आधार पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संविधिक संस्था के रूप में वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया। इस स्वायत्त तथा संविधिक संस्था को महिलाओं के हितों व अधिकारों की रक्षा, उन्हें अधिकार वंचन से सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके हित में राज्य द्वारा निर्मित कानूनों की समीक्षा, संशोधन तथा संस्तुतियां प्रदान करने जैसे कार्य व विषय सौंपे गये। इस व्यापक कार्य क्षेत्र व विविध कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आयोग को पर्याप्त अधिकार तथा समुचित शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

इस प्रकार से सशक्त आयोग के प्रति सिद्धान्त रूप में यह आम मान्यता रही है कि यह आयोग महिलाओं के हितों के संवर्द्धन तथा उनकी शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। महिलाओं के प्रति होने वाले विविध प्रकार के अपराधों व हिंसा, विशेष रूप से घरेलू हिंसा के विरूद्ध सूत्रबद्ध तरीके से यह संस्था कार्यरत है। परन्तु एक लेखिका के तौर पर यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या वास्तव में आयोग ठीक उसी प्रकार से कार्य कर रहा है जैसा कि जनादेश उसे प्राप्त है? क्या आयोग वास्तविक रूप से एक सशक्त संस्था है? इसके द्वारा महिलाओं के हितों संरक्षण तथा शिकायतों के निवारण में किस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है? आयोग की वर्तमान वास्तविक स्थिति क्या है? घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत भारत में घरेलू हिंसा को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? महिलाएं किस प्रकार इस हिंसा से प्रभावित होती हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग घरेलू हिंसा के निवारण हेतु किस प्रकार कार्य कर रहा है तथा इसकी प्रभावशीलता कितनी है? इन्हीं प्रश्नों तथा बिन्दुओं के आलोक में मैंने यह लेखन कार्य आरम्भ किया।

SAMPLE